



2026:AHC:166270

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27663 सन् 2026

सतीश कुमार यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता	:	कृष्ण गोपाल
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता	:	अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मंडी परिषद में सहायक लेखा अधिकारी है और यह आरोप है कि ठेकेदार को 8 करोड़ रुपये की अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक स्वीकृति प्राधिकारी नहीं है और उसने केवल बिल की कार्यवाही की है, अतः आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त मृदुल मधु कांत को इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4552 सन् 2022 में पारित दिनांक 17.8.2022 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा सह-अभियुक्त राजीव कपूर और विनय कुमार सिंह को भी इस न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 3990 सन् 2026 और 7748 सन् 2026 में क्रमशः दिनांक 4.5.2026 तथा 31.7.2026 को पारित आदेशों द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 14.7.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु वाद के तथ्यात्मक स्वरूप का खंडन नहीं किया।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की, जिससे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त प्रदर्शित हो, जिसके कारण आवेदक जमानत का अधिकारी न हो।

6. यह राज्य का वाद नहीं है कि जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में अभियुक्त-आवेदक द्वारा निष्पक्ष विचारण में बाधा उत्पन्न किए जाने की संभावना है। ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक का चरित्र ऐसा है कि उसकी स्वतंत्र

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थिति मात्र से साक्षियों को भयभीत किया जाएगा अथवा ऐसी कोई सामग्री है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय में बाधा उत्पन्न करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

7. जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विचारण लंबित रहने के दौरान अभियुक्त का निरुद्धीकरण दंडात्मक प्रकृति का नहीं हो सकता, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में निर्दोषता की उपधारणा विद्यमान रहती है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रस्तुत नहीं की हैं, जिनसे यह प्रदर्शित हो कि अभियुक्त-आवेदक का चरित्र ऐसा है कि उसकी स्वतंत्र उपस्थिति मात्र से साक्षी भयभीत होगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की कोई युक्तियुक्त आशंका प्रस्तुत नहीं की है तथा ऐसा भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो लोक अथवा राज्य का व्यापक हित संकट में पड़ जाएगा।

9. यह राज्य का वाद नहीं है कि आवेदक को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

10. विपक्षी पक्षकार द्वारा ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि आवेदक ने पूर्व में विधि की प्रक्रिया से बचने का प्रयास किया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदक को जमानत पर रिहा करना लोकहित अथवा व्यापक रूप से समाज के हित में नहीं है।

11. ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक के फरार होने का जोखिम है, अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना है अथवा जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में वह साक्षी को भयभीत करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का आधार स्थापित किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. आवेदक **सतीश कुमार यादव**, जो थाना कोतवाली कर्वी, जनपद चित्रकूट में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 120-ख तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 818 सन् 2019 में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा अथवा उसे भयभीत नहीं करेगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो और/अथवा जब भी आवश्यक हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक ऐसे किसी अपराध का कारित नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता परिवर्तित करता है, तो आवेदक लिखित रूप में नए आवासीय पते की सूचना संबंधित न्यायालय को देगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

डी. तामांग

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।